

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक, शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—: कार्यालय-आदेश:—

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11 (7)/वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं आदेश संख्या एफ.11 (7)/वित्त (नियम) पार्ट -1/ 2008 दिनांक 06.10.2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा में निम्नांकित अधिकारियों (व्याख्याताओ) को राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम-19 के तहत उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति), कॉलम संख्या 8 के अनुसार ग्रेड वेतन, कालम संख्या 9 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है

क.स.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/ राबाउमावि)	जन्मतिथि	व्याख्याता विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	पद पर कार्यग्रहण तिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी सेवा अवधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	वेतन बैंड	स्वीकृत ग्रेड वेतन/पे मैट्रिक्स में लेवल
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
1	नीता शर्मा बा. पचलंगी झुंझुनू	09.05.1963	संगीत	07.06.1998	07.06.1998	RVRE S	20 वर्ष	07.06.2018	—	L-14
2	जय नारायण मीना, राजगढ़ अलवर	22.04.1968	शा.शि.	01.07.1995	05.03.2010	डीपीसी 03-04	20 वर्ष	01.07.2015	9300-34,800	5400
3	सुनील कुमार, दियातरा कोलायत बीकानेर	25.02.1961	समाजशास्त्र	03.11.1987	15.06.2015	डीपीसी 13-14	30 वर्ष	06.11.2017	—	L-14

उक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावे। इस स्वीकृति का इन्द्राज सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।



(नथमल डिडेल)

आई०ए०एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 12-10-2018

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/एसीपी/2018-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपनिदेशक (माध्य) शिक्षा,
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य),
3. प्रधानाचार्य, राउमावि
4. संबंधित कार्मिक
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
6. गोर्ड पंजिका



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर